संख्या-96/2018/1991/22-2-2017-17(523)/2017

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 20 जनवरी, 2018***

विषय: केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजाभइया पुत्र श्री शिवराम यादव निवासी जनपद-महोबा की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-29389/पो0अनु0-(2)-182/सलाहकार समिति/(एम0 22.06.2017 दिनांक-14.08.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजाभइया पुत्र श्री शिवराम यादव, जो गुगौरा, थाना-कबराई, जनपद- महोबा का रहने वाला है। जमीनी विवाद को लेकर चल रही रंजिश के कारण बन्दी ने 14 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दिनांक 29-02-1990 को अपरान्ह् लगभग 04:00 बजे बन्दूक तमंचा, फरसा, लाठी एवं कुल्हाड़ी से मारकर खेत में काम कर रहे 04 व्यक्तियों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-382/1991 में भा0द0वि0 की धारा-147, 148, 302/149 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, महोबा के आदेश दिनांक 02.08.2000 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16.07.2015 द्वारा यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 21.05.2017 तक 15 वर्ष 03 माह 26 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 03 माह 10 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी का जेल आचरण सन्तोषजनक है। बन्दी के 02 सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 02 सहअभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है तथा 10 सहअभियुक्त कारागार में निरूद्ध हैं। पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई किये जाने का पर्याप्त कारण प्रतीत नहीं होने का उल्लेख किया गया है। सलाहकार समिति की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बंदी द्वारा 14 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 04 व्यक्तियों की हत्या

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

की गयी है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। अत: बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक, जिला मजिस्ट्रेट तथा मा0 पीठासीन अधिकारी की राय के दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी राजाभइया पुत्र श्री शिवराम यादव को रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- अत: उक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी राजाभइया (बन्दी संख्या-335/15) पुत्र श्री शिवराम यादव निवासी जनपद-महोबा की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा 432 द0प्र0स0 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-96/2018/1991/(1)/22-2-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, महोबा।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, नैनी, इलाहाबाद।

3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।